संख्या-23/2022/2165819/2022/श्रम-2

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,
लखनऊ।

श्रम अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक:04 अगस्त, 2022**

विषय: " सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (RSPY)" के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 2599-2600/भ0नि0बो0-(2112)-2022, दिनांक 14-07-2022 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (RSPY) का संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। जिसके द्वारा वर्तमान में संचालित सन्त रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को नई सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (RSPY) की अधिसूचना की तिथि से स्वतः समाप्त किये जाने पर शासन स्तर से अनापत्ति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में 'सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (RSPY)' का निम्नवत ड्राफ्ट (प्रारूप) उपलब्ध कराया गया है:-

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

1-योजना का नाम- सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना (RSPY)

2-योजना का उददेश्य-

इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति एवं उनके मेधावी बच्चों को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करके उन्हें उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रेरित करते हुए शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। साथ ही योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा-9, कक्षा-10, कक्षा-11 या कक्षा-12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित होने पर उन्हें आगे की पढाई हेतु प्रेरित करने एवं उन्हें विद्यालय जाने हेतु सुविधा प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से साईकिल क्रय किये जाने हेतु एकमुश्त धनराशि जैसा कि बोर्ड द्वारा विहित की जायेगी, सब्सिडी के रूप में प्रदान की जायेगी। परन्तु शर्त यह होगी कि एक छात्र को एक ही बार साईकिल क्रय किये जाने हेतु सब्सिडी की धनराशि प्रदान की जायेगी।

3-पात्रता-

I. बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो।
II. निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरान्त कम से कम (365) दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गयी हो।
III. ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष की 01 जुलाई को 25 वर्ष या इससे कम हो।
IV. निर्माण श्रमिक के बालक/बालिकाओं का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना के हितलाभ हेतु आवश्यक होगा।
V. शिक्षारत् बालक/बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हों जो कि सरकार द्वारा विधिमान्य रूप से स्थापित किसी शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो।
VI. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम दो सन्तानों को हितलाभ देय होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

VII. पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को कक्षा-9, कक्षा-10, कक्षा-11 या कक्षा-12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु साईकिल क्रय करते हुए, उक्त के सापेक्ष सब्सिडी प्राप्त करने हेतु पात्र होगें।

4-आवेदन की प्रक्रिया-

आवेदन पत्र समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित जनसेवा केन्द/बोर्ड की वेबसाइट upbocw.in से निर्धारित कक्षा में प्रवेश की तिथि से छः माह के भीतर किया जा सकेगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा-

I. छात्र/छात्रा के संबंधित कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंकतालिका।

II. आगामी कक्षा में प्रवेश की शुल्क रशीद।

III. कक्षा 01 से 08 तक उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं हेतु परिषदीय प्राथमिक विद्यालय/पूर्व माध्यमिक विद्यालय/राजकीय विद्यालयों में शिक्षारत छात्र/छात्राओं के उत्तीर्ण होने की स्थिति में अंक पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति।

IV. कक्षा-09 से लेकर कक्षा-12 तक बाउचर/विपत्र विद्यालय के प्राचार्य द्वारा डिग्री कक्षाओं में छात्र/छात्राओं के बाउचर/विपत्र उनके लिये अधिकृत सक्षम अधिकारी (Dean of Student Welfare/Provost) द्वारा भी प्रति हस्ताक्षरित किये जायेंगे। व्यवसायिक पाठयक्रमों में शिक्षारत छात्र/छात्रा का बाउचर उनके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगे।

V. पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत होने का निर्धारित प्रारूप पर नियोजन/स्वघोषणा प्रमाण पत्र।

VI. योजना के अन्तर्गत साईकिल प्रदान किये जाने हेतु उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका एवं प्रवेशित अगली कक्षा की शुल्क रसीद, प्रवेशित व शिक्षारत होने का प्रमाण पत्र शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य/सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा। उ0प्र0 से भिन्न राज्य में पत्र/पुत्रियों के अध्ययनरत होने की दशा में अंकतालिका एवं प्रवेशित अगली कक्षा से संबंधित प्रमाण-पत्र को संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी किया जायेगा।

VII. पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त न होने का स्वघोषणा पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

5-देय हितलाभ का विवरण-

1. इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के सन्तानों के कक्षा 01 से प्रारम्भ कर उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति/साइकिल हेतु सब्सिडी दिया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत है-

I.	कक्षा 01 से 05 तक	रू0 2,000/- एकमुश्त
II.	कक्षा 06 से 10 तक	रू0 2,500/- एकमुश्त
III.	कक्षा 11 से 12 तक	रू0 3,000/- एकमुश्त
IV.	कक्षा-9, कक्षा-10, कक्षा-11 एवं कक्षा-12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेशित एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्रियों को केवल एक बार ही साईकिल क्रय किये जाने हेतु प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अनुमन्य होगी।	एकमुश्त सब्सिडी की धनराशि पंजीकृत कामगार को डी0बी0टी0(DBT) के माध्यम से भुगतान की जायेगी, जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय।
V.	स्नातक पाठयक्रम या उसके समकक्ष	रू0 12,000/- एकमुश्त
VI.	आई0टी0आई0/पालीटेक्निक/Vocational course	रू0 12,000/- एकमुश्त
VII.	Professional degree Course (ऐसे कोर्स जिनकी अवधि 02 वर्ष	भुगतान किये जाने वाले शुल्क/रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	या 02 वर्ष से अधिक हो) जैसे- • Management MBA/BBA • Engineering B.Tech and B.Arch, M.Tech, ME, BE • Computer Application-BCA/MCA • Fine arts-B.F.A • Education- B.Ed, B.P.Ed, C.P.Ed. M.Ed. • Designing Fashion/Interior/Web • Mass communication/Journalism. BJMC • Pharmacy-B.Pharma, M.Pharma • Hospitality-Hotel Management • Medical-BDS, B.A.M.S, B.H.M.S, B.U.M.S. • Nursing-B.Sc. M.Sc. • Finance B.Com/CA/CPA/CS • Architecture-B.Arch • Law LLB, LL.M • Agriculture	60,000/- एकमुश्त जो भी कम हो की धनराशि देय होगी।
VIII.	स्नातकोत्तर डिग्री पाठयक्रम हेतु	रू0 24,000/- एकमुश्त
IX.	किसी शासकीय शिक्षण संस्थान से मेडिकल के स्नातक (MBBS) एवं स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा हेतु उक्त हितलाभ हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा भी शिथिल रहेगी तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।	भुगतान किये जाने वाले शुल्क का शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।
X.	किसी भी विषय में अनुसंधान हेतु उक्त हितलाभ हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा भी शिथिल रहेगी तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।	रू0 1,00,000/- एकमुश्त
XI	भारतीय प्रबन्धन संस्थान (IIM), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) , राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) ,नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (NIFT) एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययन हेतु भुगतान किये जाने वाले शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी तथा उक्त हितलाभ हेतु 25 वर्ष की आयु सीमा शिथिल रहेगी तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।	

2. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा 70 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण करने तथा अगली कक्षा में प्रवेश लेने की स्थिति में प्रोत्साहन के रूप में बालकों को रू0 5,000/- एवं बालिकाओं को रू0 8,000/- अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त देय होगी।
3. स्नातक एवं स्नातकोत्तर की परीक्षा 60 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश लेने की स्थिति में प्रोत्साहन के रूप में बालकों को रू0 10,000/- एवं बालिकाओं को रू0-12,000/- अतिरिक्त धनराशि एकमुश्त देय होगी। स्नातकोत्तर डिग्री की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अगली कक्षा में प्रवेश लेने की शर्त लागू नहीं होगी।
4. यदि छात्र/छात्रा वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तथा उसी कक्षा हेतु पुनः आवेदन प्रस्तुत करता है, जिसका लाभ उसके द्वारा पूर्व में लिया जा चुका है, तो छात्रवृत्ति का पात्र नहीं रहेगा।
5. व्यवसायिक पाठयक्रमों में पात्रता तभी मान्य होगी, जब अभ्यर्थी ने राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लिया हो।
6. पंजीकृत श्रमिक द्वारा राज्य अथवा केन्द्र सरकार के अधीन संचालित समान प्रकार की योजना में हितलाभ प्राप्त होने की स्थिति में उक्त योजना का हितलाभ देय नहीं होगा।

<u>6-आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया-</u>

निर्माण श्रमिक द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन पत्र के निस्तारण की प्रक्रिया निम्नवत होगी:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

I. निर्माण श्रमिक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्र पर जॉच अधिकारी द्वारा 15 दिन के भीतर हितलाभ के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति की अनुशंसा की जायेगी। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में सूक्ष्म रूप में कारण उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा।

II. जॉच अधिकारी की अनुशंसा के 15 दिन के भीतर स्वीकर्ता अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त (सहायक श्रमायुक्त के न होने की स्थिति में संबंधित अपर/उप श्रमायुक्त) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

III. स्वीकृति के 15 दिन के भीतर श्रमिक द्वारा पंजीकरण विवरण में उल्लिखित बैंक खातें/आधार बेस्ड पेमेण्ट के माध्यम से आर्थिक सहायता अंतरित की जायेगी।

यह समस्त कार्यवाहियॉ ऑनलाइन वेबसाइट/पोर्टल पर भी तददिनांक ही सम्पादित की जायेगी। उक्त समय-सीमा जनहित गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित किये जाने वाले संशोधन के अधीन होगी।

IV साईकिल में घंटी, ताला, कैरियर एवं साइड स्टैण्ड सहित निर्धारित ब्रांडो के बेस मॉडल की साईकिल के क्रय हेतु एकमुश्त धनराशि जैसा कि बोर्ड द्वारा विहित की जायेगी, सब्सिडी के रूप में श्रमिक द्वारा क्रय रसीद प्रस्तुत करने पर डी0बी0टी0 के माध्यम से श्रमिक के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी।

7-कठिनाइयों का निवारण-

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश, आदेश इत्यादि निर्गत कर सकेंगे।

3. सचिव, बोर्ड द्वरा उपलब्ध कराये गये ''संत रविदास शिक्षा सहायता प्रोत्साहन योजना'' पर इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि बोर्ड, प्रश्नगत योजना के संचालन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं संगत नियमावली, 2009 का पूर्णतः अनुपालन पात्र निर्माण श्रमिकों के हित में सुनिश्चित करायेगा तथा इस संबंध में शासन स्तर से कोई वित्तीय/आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी।

4- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजना के संचालन के संबंध में उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

प्रेम प्रकाश सिंह
विशेष सचिव

संख्या-23/2022/2165819(1)/2022/श्रम-2,तददिनांक,

प्रतिलिपिः-

1-श्रमायुक्त, उ0प्र0, कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

2-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

चिरौंजी लाल
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।